संख्या- 88 / 2017/2446/24-1-17-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2017**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या - 1026 / मु0म0प्र0 (वित्त) / विप्र - 2 / 299 / आय -व्ययक/2017-18, दिनांक 27.09.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में व्यवस्थित धनराशि रूपये 3760,00,00,000/- (रूपये तीन हजार सात सौ साठ करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2017 तक धनराशि रूपये 1508,00,00,000/- (रूपये एक हजार पॉच सौ आठ करोड़ मात्र) की धनराशि का आहरण किया जा चुका है।

3- अब उक्त मद में अवशेष धनराशि रूपये 2252,00,00,000/- (रूपये दो हजार दो सौ बावन करोड़ मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

4- उक्त धनराशि में से रूपये 322,00,00,000/- (रूपये तीन सौ बाईस करोड़ मात्र) का आहरण शासनादेश संख्या- 66/2017/2145/24-1-17-54 पी/02 टी0सी0-1 दिनांक 28 अगस्त, 2017 द्वारा माह सितम्बर, 2017 में किया जा चुका है। धनराशि का आहरण माह अक्टूबर, 2017 से माह फरवरी, 2018 तक धनराशि रूपये 322,00,00,000/- (रूपये तीन सौ बाईस करोड़ मात्र) की पॉच मासिक किश्तों में तथा रूपये 320,00,00,000/- (रूपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की छठवीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2018 में किया जायेगा।

5- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

7- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

9- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 158 /दस-2017, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 88 /2017/2446(1)/24-1-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in